लेखा · योग

एफ सी एम सी बिल २००५ – भाग ३ अङ्क १०८ दिसंबर–०४, (जुलाई– ०५ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

जन–सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से) १
१५· छात्रवृत्तियाँ १
१६· बैंकों की बढ़ती भूमिका १
१७· विदेशी अभिदाय के उपयोग का अभिलेख २
१८· परिसम्पत्तियों की नीलामी २
१९· मिथ्याकरण का अपराध २
२०· निषेधात्मक अधिकार ३
२१· अधिनियम के अन्तिम खण्ड ३
शब्दावली ४

लेखा योग की अंक १०७ से आगे· · ·

जन–सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से)

१५· छात्रवृत्तियाँ

वर्तमान विअविअ[१] के अन्तर्गत ३६,००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक की छात्रवृत्ति या वृत्तिका प्राप्त करने वाले लोगों को सरकार[२] को सूचित करना अपेक्षित है।

नए एफसीएमसी[३] बिल में इस प्रकार की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

१६· बैंकों की बढ़ती भूमिका

एफसीएमसी बिल में विदेशी अभिदाय के प्रवाह[४] को नियंत्रित करने के लिए बैंकों द्वारा औपचारिक भूमिका निभाए जाने का प्रस्ताव है।

प्रथमतः आप विअविअ के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को केवल अनुसूचित बैंकों[५] में रख सकते हैं।

द्वितीयतः आप विदेशी अभिदाय[६] के उपयोग के लिए अनुसूचित बैंकों में विभिन्न खाते खोल सकते हैं।

तृतीयतः बैंकों को एफसीएमसी विभाग को नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होंगे। इन प्रतिवेदनों में निर्दिष्ट प्राथमिक खाते में प्राप्त धनराशि का विवरण दर्शाया जाएगा। इनमें यह भी दर्शाया जाएगा कि कितनी धनराशि को द्वितीयक बैंक खातों में अतंरित किया गया है। अन्त में इन प्रतिवेदनों में द्वितीयक

---

१ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम।

२ विअविअ, १९७६ की धारा ७ का नियम ५

३ फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन् (मैनेजमेन्ट एण्ड कंट्रोल) – विदेशी अभिदाय (प्रबंधन एवं नियंत्रण)

४ अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्राप्त विदेशी अभिदाय, १७

१) धारा ११ में संदर्भित किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुसूचित बैंक में विदेशी अभिदाय को जमा करने या उसके आहरण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक की वह व्यक्ति धारा १२ के अन्तर्गत पञ्जीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने या इस सदंर्भ में पूर्वानुमति प्राप्त करने की कार्यवाई पूरी नहीं कर लेता।

२) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको धारा १२ के अन्तर्गत पञ्जीकरण प्रमाण पत्र या पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है वह पञ्जीकरण प्रमाण पत्र या पूर्वानुमति के आवेदन पत्र में निर्दिष्ट राज्य के किसी भी अनुसूचित बैंक की शाखाओं में से केवल किसी एक शाखा के माध्यम से विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकेगाः

प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक खाते खोले जा सकते हैं।

यह भी प्रावधान है कि इन खातों में विदेशी अभिदाय के अतिरिक्त कोई अन्य राशि प्राप्त या जमा नहीं की जाएगी।

३) उपधारा (२) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय स्वीकार करने वाले प्रत्येक अनुसूचित बैंक को पञ्जीकरण प्राधिकरण को विहित तरीके एवं समयान्तराल पर उप धारा (२) में संदर्भित खातों में प्राप्त समस्त विदेशी अभिदायों के संबंध में और उप धारा (२) के प्रथम उपबन्ध में सदंर्भित खातों में अन्तरित या आहरित राशि के संबंध में जानकारी देगा।

५ यह बैंक सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियमित होते हैं।

६ लेखा योग के अङ्क संख्या १०६ में इस पर अलग से चर्चा की गई है।

खातों से आहरित धनराशि का विवरण भी दिया जाएगा।

चतुर्थतः इस बिल में बैंकों को किसी भी खाते[७] में विदेशी अभिदाय जमा करने या उसके आहरण के लिए तब तक रोके जाने का प्रावधान है जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति के पास एफसीएमसी पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र या पूर्वानुमति न हो।

१७. विदेशी अभिदाय के उपयोग का अभिलेख

वर्तमान समय में विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत प्रत्येक संस्थाओं को पृथक लेखा-बही रखनी होती है। यदि विदेशी अभिदाय वस्तु के रूप में प्राप्त किया गया है तो उनको प्रपत्र एफसी-६ के रूप में पंजिका भी तैयार करनी होती है।

एफसीएमसी बिल में यह अभिलेख रखने का भी प्रावधान[८] रखा गया है कि विदेशी अभिदाय का उपयोग किस प्रकार किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रावधान में मुद्रा के साथ-साथ वस्तु में भी प्राप्त विदेशी अभिदाय सम्मिलित है। जब सम्बन्धित नियम तैयार किए जाएँगे तो इस अपेक्षा की प्रकृति संभवतः और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

१८. परिसम्पत्तियों की नीलामी

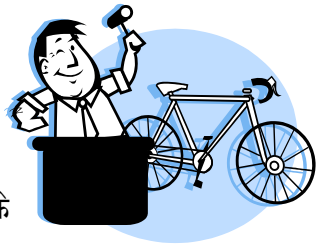

इस बिल में एक नया प्रावधान[९] विअविअ परिसम्पत्तियों के निपटान से सम्बन्धित है। अब सरकार के पास यह निर्देशित करने की शक्ति होगी कि विदेशी अभिदाय से उपार्जित किसी विशिष्ट परिसम्पत्ति का निपटान कैसे किया जाए। इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

१९. मिथ्याकरण का अपराध

एफसीएमसी बिल में एक नई धारा ३३[१०] भी सम्मिलित की गई है। मान लें किसी व्यक्ति ने कोई मिथ्या विवरण दिया है या अपने किसी प्रलेख, अभिलेख या लेखा-बहियों आदि को मिथ्या रूप से प्रस्तुत किया है तो उस व्यक्ति को पाँच वर्ष तक कारावास की सज़ा दी जा सकती है।

मान लीजिए कोई व्यक्ति अभिलेख का मिथ्याकरण नहीं करता परन्तु वह उनके मिथ्याकरण से अवगत होता है। ऐसे प्रकरणों में भी व्यक्ति

---

७ यदि किसी व्यक्ति को धारा १२ के अन्तर्गत पञ्जीकरण कराने या पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता हो।

८ लेखा बहियाँ तैयार करना। १९. प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र या पूर्वानुमति प्रदान की गई है वह विहित किए अनुसार लेखा बहियाँ तैयार करेगाः-

क) उसके द्वारा प्राप्त किसी भी विदेशी अभिदाय का खाता; और

ख) विदेशी अभिदाय को उपयोग में लाए जाने के तरीके से संबंधित अभिलेख;

९ विदेशी अभिदाय से उपार्जित परिसंपत्तियों का निपटान २२। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त विदेशी अभिदाय से उपार्जित परिसंपत्तियों की प्रकृति के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा उन सम्पत्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनका निपटान समय-समय पर विहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

१० मिथ्या विवरण या मिथ्या घोषणा करना ३३। इस अधिनियम के अध्याधीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी अपराध करता है जैसेः-

क) उसके द्वारा जानबूझकर कपट पूर्वक की गई कोई मिथ्या घोषणा या उसके द्वारा दी गई या हस्तांतरित की गई कोई सूचना, पुस्तक या घोषणा जिसमें वह संलिप्त है या कोई ऐसी विषय सामग्री जिसके सम्बन्ध में उसकी यथार्थता निर्धारित करना उसका दायित्व है; या

ख) उसके द्वारा कपट के उद्देश्य से की गई कोई भूल या जान-बूझकर दी गई मिथ्या सूचना, पुस्तक या खण्ड (क) में उल्लेखित विवरण की घोषणा या यदि उसमें वह संलिप्त था; या

ग) कपट करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी ऐसे प्रलेख को छिपाया या विरूपित किया गया हो या उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया हो, जिसको कि सुरक्षित रखना या प्रस्तुत करना उसका दायित्व था; या

घ) यदि किसी प्रकरण में उसके द्वारा जानबूझकर कोई मिथ्या घोषणा की गई जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा सही घोषणा करना उसका आधिकारिक दायित्व था, या

ङ) जानबूझकर की गई किसी ऐसी मिथ्या घोषणा से, स्वंय के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लाभ लिया हो या कोई विशेषाधिकार प्राप्त किया हो, जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं था या किसी बही या प्रलेख में कोई मिथ्या विवरण दिया हो या किसी सही प्रविष्टि को या किसी सत्य विवरण को मिटा दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर कारावास की सज़ा हो सकती है जिसको पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अधिनियम में उल्लेखित से कम सज़ा भी दी जा सकती है।

को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

ऐसा उस स्थिति में होता है जब अभिलेखों को उपयुक्त ढंग से जाँच करने या तैयार करने का दायित्व उस व्यक्ति का होता है।

हालाँकि बिल में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है फिर भी इस प्रावधान में लेखाकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अङ्केक्षक आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

२०. निषेधात्मक अधिकार

वर्तमान विअविअ के अन्तर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष या परिसंघ को निर्देशित कर सकती है कि उनको कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि एफ सी एम सी बिल पारित हो जाता है तो सरकार के इस अधिकार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। सरकार निम्नलिखित को पूर्वानुमति की सूची में रख सकेगीः-

- धारा १२ के अन्तर्गत पञ्जीकृत व्यक्तियों या परिसंघों की सम्पूर्ण वर्ग श्रेणी;
- कोई भी भौगोलिक क्षेत्र;
- कोई भी विनिर्दिष्ट प्रयोजन;
- कोई भी विनिर्दिष्ट स्रोत।

यह कार्य व्यावहारिक रूप से कैसे किया जाएगा ? उदाहरण के लिए - सरकार यह कह सकती है कि किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जा सकता या सरकार यह भी कह सकती है कि किसी भी राज्य विशेष द्वारा कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सरकार यह भी कह सकती है कि किसी भी "कखग दातव्य संस्था" से कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रवर्तन के दृष्टिकोण से विदेशी अभिदाय पर नियत्रंण को और अधिक कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए यह प्रावधान[११] सरकार की सहायता के लिए तैयार किया गया है।

धारा ४५[१२] में इस अधिकार को और अधिक विस्तृत किया गया है। इस धारा के अनुसार, प्राप्त होने वाले विदेशी अभिदाय तथा उनके उपयोग के प्रयोजन के लिए सरकार निर्देश भी दे सकती है।

२१. अधिनियम के अन्तिम खण्ड

वर्तमान विअविअ का क्या होगा ? एक बार नया बिल पारित होने पर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत जन-सेवी संस्थाओं को परिवर्तन के लिए कुछ अवधि प्रदान की जाएगी। इस सम्बन्ध में दो प्रावधान महत्वपूर्ण हैंः

नए अधिनियम में पञ्जीकरण के लिए छूट की अवधि

जो जन-सेवी संस्थाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत पहले से पञ्जीकृत हैं वे नए अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः ही पञ्जीकृत नहीं हो जाएँगी। उनको धारा १२

---

११ धारा ११ (३) इस अधिनियम में अन्तर्निहित किन्हीं अन्य बातों के होते हुए केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती हैंः-

क) उप-धारा (१) के अन्तर्गत पञ्जीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिनको विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी; या

ख) वे क्षेत्र जिनमें विदेशी अभिदाय स्वीकार किया जा सकता है और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से उसका उपयोग किया जा सकता है;

ग) वे प्रयोजन जिनके लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से विदेशी अभिदाय का उपयोग किया जा सकता है; या

घ) वे स्रोत जिनसे केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति से विदेशी अभिदाय स्वीकार किया जा सकता है।

१२ निर्देश निर्गत करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकार। ४५. केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार निर्देश निर्गत कर सकती हैः-

क) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से सम्बन्धित किसी विहित प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को; और

ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की विधि तथा विदेशी अभिदाय को उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन के लिए इन निर्देशों को लागू करने के सम्बन्ध में, और विहित प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी द्वारा इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

के अन्तर्गत आवेदन करने होंगे और एक नया प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने होंगे।

यह कार्य नए अधिनियम के लागू होने के दिनाङ्क से दो वर्ष के अन्दर अवश्य किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान पञ्जीकरण नए अधिनियम के पारित होने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

एक अन्य रोचक एवं व्यावहारिक प्रश्न यह उठता है कि एक बार इस नए अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् पहले से पञ्जीकृत सभी जन-सेवी संस्थाएँ विअप्रनि पञ्जीकरण के लिए आवेदन करेंगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि लगभग १५,०००-२०,००० संस्थाएँ ३ से ६ माह की अवधि में पुनः पञ्जीकरण के लिए आवेदन करेंगी। विअविअ विभाग पञ्जीकरण की इस भीड़ से कैसे निपटेगा ?

अन्य प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता

छूट की अवधि में इस प्रकार के जन-सेवी संस्थाओं का क्या होगा ? ऐसे जन-सेवी संस्थाएँ विअविअ धनराशि इस अवधि में प्राप्त कर सकती हैं। तथापि इस अवधि में प्राप्त की गई विदेशी अभिदाय की राशि को एफसीएमसी अधिनियम[१३] के अन्तर्गत प्राप्त की गई राशि माना जाएगा।

इस प्रावधान का व्यावहारिक रूप में क्या अभिप्राय है ? इसका तात्पर्य है कि इस प्रकार के जन-सेवी संस्थाओं को नए प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त उनके लेनदेन भी नए प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित होंगे।

शब्दावली

अपेक्षित - रिक्वायर्ड
अभिलेख - रिकॉर्ड
अंतरित - ट्रान्सफ़र्ड
अनुसूचित - शेड्यूल्ड
आहरित - विद्ड्रॉन
आहरण - विद्ड्रॉवल
औपचारिक - फ़ॉरमल
छात्रवृत्ति - स्कॉलरशिप
निर्दिष्ट - स्पेसिफ़ाइड्
पञ्जीकृत - रजिस्टर्ड
पञ्जीकरण - रजिस्ट्रेशन
पूर्वानुमति - प्रायर-परमिशन
प्रलेख - डॉक्यूमैन्ट
प्रमाण-पत्र - सर्टिफिकेट
प्रवाह - फ्लो
प्रवर्तन - एन्फोर्समेण्ट
प्रतिवेदन - रिपोर्ट
मिथ्या - फ़ॉल्स
मिथ्याकरण - फ़ॉल्सिफ़िकेशन
लेखा-बही - अकाउण्ट बुक
वृत्तिका - स्टाइपेन्ड्

लेखा-योग की अङ्क संख्या १०९ में क्रमशः . . .

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग २७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष / प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India विक्रम संवत् आषाढ़ २०६२; जुलाई २००५ ईस्वी।

---

१३ विअविअ बैङ्क खाते में पहले से अव्ययित विदेशी अभिदाय का क्या होगा ? क्या यह राशि भी विअप्रनि (एफ सी एम सी) - विदेशी अभिदाय (प्रबंधन एवं नियंत्रण) द्वारा विनियमित होगी ? इस सम्बन्ध में एफ सी एम सी बिल में कोई प्रावधान नहीं है।